5

व् अदालत् अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा।

आर0 ई0 आर0 केश सं0–26/2016–17

सोनू राउत

बनाम्

अनिता देवी

22/02/2020

–: आदेश :–

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदक सोनू राउत, पे0–सरजू राउत, सा0–शिवाजी नगर, गंगटा खूर्द, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा ने मौजा–गंगटा खूर्द के जमाबंदी सं0–13, दाग नं0–1308, रकवा–00–07–00 धुर जमीन से विपक्षी वीरेन्द्र चौधरी, पे0–जागेश्वर चौधरी वो अनिता देवी, पति–वीरेन्द्र चौधरी वो महेन्द्र चौधरी, सा0–ईटहरी, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने के लिए आवेदन किया है।

आवेदक का आवेदन है कि मौजा–गंगटा खूर्द, जमाबंदी सं0–13 गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा में कलर राउत, पे0–मन्नु राउत वो बैजू तिवारी, पे0–महादेव तिवारी के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत बैजू तिवारी को कोई औलाद नहीं था। इसलिए कलर राउत ही एक मात्र जमाबंदी रैयत है। जमाबंदी रैयत अपने पीछे एक मात्र पुत्र अकल राउत को छोड़कर फौत कर गये। अकल राउत को दो पुत्र सरजू राउत एवं गणेश राउत हुए। आवेदक सरजू राउत के पुत्र है। उनका आगे कथन है कि अकल राउत के नाम से उक्त जमाबंदी की जमीन का नामांतरण भी हो गया है। विपक्षीगण बाहरी व्यक्ति है। उनलोगों ने आवेदक की जमीन को अवैध ढंग से दखल कर लिया है।

प्रक्रिया चलने के दौरान विपक्षी वीरेन्द्र चौधरी की मृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर उनकी पत्नी अनिता देवी को पक्षकार बनाया गया। विपक्षीगण का कथन है कि मौजा–गंगटा खूर्द के जमाबंदी सं0–13 की जमीन गत सर्वे सेट्लमेंट पर्चा में कलर राउत, पे0–मन्नु राउत वो बैजू तिवारी, पे0–महादेव तिवारी के नाम से दर्ज है। दोनों जमाबंदी रैयत का जमाबंदी सं0–13 की जमीन पर आधा–आधा हक था एवं टाईटल जारी नं0–02/1972 के द्वारा लक्ष्मीनारायण दूबे को आधी जमीन पर दखल दिहानी दिलाया गया। चूँकि उक्त जमाबंदी के अंतर्गत वादगत जमीन बैजू तिवारी के द्वारा फेकू चौधरी को दिया गया था। इसलिए लक्ष्मीनारायण दूबे ने फेकू चौधरी के पक्ष में शपथ–पत्र भी दिया गया है। फेकू चौधरी की मृत्यु के बाद उनकी पोती अनिता देवी अपने पति–वीरेन्द्र चौधरी के साथ उस जमीन पर आवासीय मकान बनाकर बासोवास कर रहे है। उनका आगे कथन है कि आवेदक का आवेदन संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत् चलने योग्य नहीं है, क्योंकि वादगत जमीन आवेदक के हिस्से की जमीन नहीं है। जमीन लक्ष्मीनारायण दूबे की

हिस्से की जमीन है और लक्ष्मीनारायण दूबे के द्वारा यह वाद नहीं लाया गया है। उन्होनें आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–189/रा0, दिनांक–02/02/2018 से जाँच–प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गंगटा खूर्द, जमाबंदी सं0–13, दाग नं0–1308 रकवा–03–18–19 धुर जमीन खतियान में कलर राउत वल्द् मन्नु राउत वो बैजु तिवारी वल्द् महादेव तिवारी के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत कलर राउत के परपोता हैं। टाईटल जारी केश नं0–02/1992 (लक्ष्मीनारायण दूबे वगैरह बनाम् अकल राउत) में लक्ष्मीनारायण दूबे को प्रश्नगत दाग नं0–1308 के अंदर रकवा–02–01–06½ धुर जमीन प्राप्त है। लक्ष्मीनारायण दूबे के द्वारा विपक्षीगण को दाग नं0–1308 के अंदर रकवा–00–04–00 धुर जमीन दिया गया है और विपक्षी अनिता देवी उसपर मकान बनाकर सपरिवार वासोवास कर रहे है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादगत जमीन लक्ष्मीनारायण दूबे की हिस्से की जमीन है। लक्ष्मीनारायण दूबे के द्वारा उच्छेदी के लिए आवेदन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक के आवेदन के आधार पर विपक्षीगण को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।